न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी– रामरतन सौंकरिया
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
85 / 2021 / प्रा.पत्र / 2021	24.09.2021	18.10.2024

सत्यनारायण गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी टोंक, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक।

.....प्रार्थी

बनाम

1–श्री मुकेश कुमार जैन पुत्र श्री प्यार चन्द जैन निवासी नवीन मण्डी मालपुरा जिला टोंक पार्टनर मैसर्स मनोज इण्डस्ट्रीज जी.आई–111,रीको इण्डस्ट्रीज एरिया, टोंक जिला टोंक राज0। पिनकोड–304001

2–मैसर्स मनोज इण्डस्ट्रीज जी.आई–111,रीको इण्डस्ट्रीज एरिया, टोंक जिला टोंक राज0। पिनकोड–304001

.....अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) एवं दण्डनीय धारा 52 (सहपठित धारा 49)

उपस्थित–

1–पेरोकार सरकार।

2–अप्रार्थी अनुपस्थित।

:–निर्णय–: दिनांक 18.10.2024

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनाक 04.01.2021 को समय 03:00 पी.एम. पर मैसर्स मनोज इण्डस्ट्रीज जी.आई–111,रीको इण्डस्ट्रीज एरिया, जिला टोंक पर पहुंचा। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता के हेसियत से श्री मुकेश कुमार जैन पुत्र श्री प्यार चन्द जैन अपने प्रतिष्ठान मैसर्स मनोज इण्डस्ट्रीज जी.आई–111,रीको इण्डस्ट्रीज एरिया, टोंक पर खाद्य पदार्थ का कराबोर करते हुए उपस्थित मिला, श्री मुकेश कुमार जैन पुत्र श्री प्यार चन्द जैन को अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया तथा पूछने पर श्री मुकेश कुमार जैन पुत्र श्री प्यार चन्द जैन ने स्वयं को प्रतिष्ठान का एकमात्र मालिक होना स्वीकार किया तथा खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा पत्र दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि दुकान के पैंकिग गोदाम में आम जनता को विक्रय करने हेतु कागज के 10 कार्टून में लगभग 300 मूल पैक बौतल पैक्ड अवस्था में प्रत्येक बोतल 500–500 ग्राम पैक **कच्ची घाणी सरसों तेल (सुदामा ब्राण्ड)** रखा हुआ था, जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर विक्रेता श्री मुकेश कुमार जैन को गवाह के सामने फार्म नं0 5ए में वास्ते नमूना जांच क्रय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की प्राप्त की जिस पर विक्रेता श्री मुकेश कुमार जैन एवं गवाहान के हस्ताक्षर

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

करवाकर आवेदक ने हस्ताक्षर कर तस्दीक किया एवं **कच्ची घाणी सरसों तेल (सुदामा ब्राण्ड)**जिसके बैच नम्बर 06 एवं पैकिंग की दिनांक 01/2021 थी, **कच्ची घाणी सरसों तेल (सुदामा ब्राण्ड)** के ज्यों का त्यों पैक्ड अवस्था में 500–500 ग्राम के 4 पैक वास्ते नमूना जांच मूल अवस्था में खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **कच्ची घाणी सरसों तेल (सुदामा ब्राण्ड)**के 500–500 ग्राम पैक के 4 मूल पैक के ज्यों का त्यों अलग–अलग बराबर–बराबर नियमानुसार चार भाग तैयार कर प्रत्येक भाग नियमानुसार लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाकर प्रत्येक लेबलों पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–2765 दर्ज कर, विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराकर चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–2765 नीचे से ऊपर तक गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारों नमूना भाग नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया एवं मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रति तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2021/268 दिनांक 01.02.2021 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला राज0 जयपुर से प्राप्त जांच रिर्पोट सं. एलएस/24/एक्ट/2021/108 दिनांक 12.01.2021 के अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया **कच्ची घाणी सरसों तेल (सुदामा ब्राण्ड)** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम व विनियम 2011 की धारा 3(1)(zf)(C)(i) के अनुसार **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेता के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी श्री मुकेश कुमार जैन दिनांक 11.08.2023 को न्यायालय हाजा में उपस्थित हुए एवं जवाब हेतु समय चाहा। उसके बाद से न तो अप्रार्थी और न ही उनकी ओर से कोई प्रतिनिधि न्यायालय हाजा में उपस्थित हुये। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये।

पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस **कच्ची घाणी सरसों तेल (सुदामा ब्राण्ड)** का विक्रय कर रहे थे, उसके लेबल पर समस्त आवश्यक जानकारियां अंकित नही थी जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अनुसार अनिवार्य है। उक्त नमूना

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

जांच में **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उपधारा (ii) के अन्तर्गत अपराध एवं खादय सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 (सहपठित धारा 49) में जुर्माने की श्रेणी में आता है, इसलिए अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने पेरोकार सरकार की बहस को सुना एवं बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **कच्ची घाणी सरसों तेल (सुदामा ब्रण्ड)** का नमूना जांच में **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 52 (सहपठित धारा 49) के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी श्री मुकेश कुमार जैन पुत्र श्री प्यार चन्द जैन के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी पर कुल शास्ति रूपये 3,00,000/– (अक्षरे तीन लाख रूपये) आरोपित की जाती है। अप्रार्थी को निर्णय की सूचना व शास्ति राशि निर्धारित समयावधि में जमा करवाने हेतु पत्र लिखा जावें। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 18.10.2024 से एक माह के अन्दर अनिवार्य रूप से जमा कराकर रसीद पेश करें। एक माह के अन्दर शास्ति जमा नहीं करवाने पर शास्ति वसूली की कार्यवाही हेतु निर्णय प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक को भिजवायी जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय अद्य दिनांक 18.10.2024 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(रामरतन सौंकरिया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक